10.03.2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित क्र.1

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अदम हाजरी में पारित किया गया। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति होने से पेशी तारीख की जानकारी न होने से अपीलांट न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। अपीलांट का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे। न्यायिक दृष्टांत:- 2002 DNJ (SC) 87 Civ. Time (Raj) 2002(2) 973

धारा 05 के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि मेरा पांच दिन पूर्व न्यायालय में आकर उक्त अपील के बारे में जांच की गई तो पता चला कि उक्त अपील दिनांक 11.08.2015 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारीज की जा चुकी है जिस पर अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो कोई जवाब नहीं दिया तब दूसरा अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त निर्णय की

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म

नकल दिनांक 19.06.2019 को मांगी जो दिनांक 19.06.2019 को मांगी जो उसी दिन प्राप्त हुई जिस पर सम्यक तत्परता के साथ हस्तगत आवेदन पेश किया। अतः अवर निषाद कुमार का रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।
न्यायिक दृष्टांत :- DNJ (Raj.) 2009(2) Page-918
अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस बहस फार्म नं. 04 के संलग्न माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का निर्णय पेश किया। मौखिक बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय के सामने हस्तगत आवेदन तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया। माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध निगरानी पेश की जो दिनांक 23.10.2018 को इस निर्देश के साथ खारिज की कि प्रार्थी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो कर बाजदावी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है इसके बावजूद गलत तथ्यों के आधार पर प्रदीर्घ अवधि व्यतीत होने के पश्चात आवेदन पेश हुआ जो मियाद बाहर है खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/ अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा के आदेश दिनांक 11.08.2015 के विरुद्ध निगरानी संख्या 6838/2015 पेश की जो दिनांक 23.10.2018 को निगरानी खारीज की गई तथा निर्देशन दिया कि प्रार्थी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो कर बाजदावरी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा तकरीबन 09 माह बाद दिनांक 18.07.2019 को हस्तगत आवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना-पत्र के साथ पेश प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में उपरोक्त तथ्यों को छिपाया गया। अपीलांट न्यायालय के समक्ष सदभावना एवं स्वच्छ हाथों से नहीं आया है लिहाजा अपीलांट का आवेदन म्याद बाहर लाहासिल होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।	

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर